प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 02 सितम्बर, 2016**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अपने पत्र संख्या-5294/रिम्सएण्डआर/2015-16 दिनांक 26 मार्च, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा परिसर में 500 बेडेड सुपरस्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2839/71-2-14-एस-20/2013 दिनांक 14-8-2014 द्वारा रू0 333.5643 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 261.9862 करोड की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि
2839/71-2-14-एस-20/2013 दिनांक 14-8-2014	15.0000
6/3521/71-2-14-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 20 नवम्बर, 2014	3.1500
26/2015/926/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 17 मार्च, 2015	9.9351
33/2015/1090/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 25 मार्च, 2015	2.0864
90/2015/3758/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 02 नवम्बर, 2015	63.2000
91/2015/3983/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 02 नवम्बर, 2015	13.2700
51/2016/1131/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च, 2016	4.4171
52/2016/1131/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च, 2016	0.9276
94/2016/2731/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 11 जुलाई 2016	124.000
95/2016/2814/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 11 जुलाई, 2016	26.000
योग-	**261.9862**

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत उक्त 500 बेडेड सुपरस्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 4,63,28,29,000/- (रूपया चार अरब तिरसठ करोड अठ्ठाइस लाख उन्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था की होगी।
2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
3) विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
5) प्रायोजना प्रस्ताव में कतिपय कार्यमदों यथा-मर्चरी उपकरण, सी0एस0एस0डी0 सिस्टम, करटेन ट्रैक वं आई0वी0टी0 सिस्टम, एक्सेस कन्ट्रोल सिस्टम, बेड हेड पैनल, सोलर पावर सिस्टम, आई0वी0एम0एस0 सिस्टम, सर्वर, आडियो वीडियों सिस्टम, नर्सकाल सिस्टम, किचेन उपकरण, लाण्ड्री सिस्टम, ई0पी0बी0एक्स सिस्टम, माड्यूलर ओ0टी0, सेन्ट्रल ए0सी0, लिफ्ट, ब्वायलर सिस्टम, पी0ए0 सिस्टम, सी0सी0टी0वी0, मेडिकल गैर पाइप लाइन, बेस्ट मैनेजमेन्ट का प्राविधान कोटेशन/बाजार दर पर किया गया है, के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करेंगे। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यल आफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है। अत: विश्वविद्यालय द्वारा इन कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

6) प्रायोजना प्रस्ताव में पौध रोपण, औद्यानिक कार्य, शर्ब्स, हेज आदि का रोपण एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित किया गया है। इन कार्यो के क्रियान्वयन हेतु उक्त कार्यो के विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया जाय, जो इनकी दरों एवं क्रय के संबंध में नीति का निर्धारण कर, उनका क्रियान्वयन एवं क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित करें।

7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे कुर्सी क्षेत्रफल में वृद्धि, नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

8) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानो को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तदायित्व विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व वि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। पुनरीक्षित प्रायोजना में पूर्व निर्गत धनराशि नियमानुसार समायोजित कर ली जायेगी।

10) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1232/दस-2016, दिनांक 29 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-113/2016/3333(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
1) कोषाधिकारी, इटावा ।
2) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3) वित्त अधिकारी, उ0प्र0आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
5) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
6) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।